

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 275/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 02.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना सरायमीर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 02.08.2025 को उ0नि0 नीरज गौड़ मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति राजन विश्वकर्मा पुत्र लालमनी निवासी सूफिगंज थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को 01 अदद तमंचा .315 बोर 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ बस्ती नहर पुलिया के दाहिने छोर के पास से समय करीब 00.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया, बरामदगी के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 355/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. राजन विश्वकर्मा पुत्र लालमनी निवासी सूफिगंज थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी -

- 1- 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 355/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 117/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 370/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 87/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 09/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस थाना रानी की सराय आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 155/19 धारा 379, 411 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 355/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 नीरज गौड़ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
2. उ0नि0 राजकुमार यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
3. उ0नि0 पंकज यादव का0 रमेश चन्द्र गौड़ का0 रजनीश पटेल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।



02.थाना- बरदह: दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

अवगत कराना है कि दिनांक 01.08.25 को वादिनी मुकदमा सुनीता w/o सुधीर नि0 गुमाडीह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि मैं अपनी बेटी कुमकुम की शादी पंकज s/0 श्यामा सरोज के साथ हिन्दू रीति रिवाजों से की थी। मैंने अपनी बेटी को गाड़ी, 5 लाख रुपये व अन्य सामान देकर विदा कर दिया लेकिन शादी के कुछ साल बाद पंकज मेरी बेटी को दहेज कम लाने को लेकर गाली-गलौज, मारता-पीटता था, जान से मारने की धमकी देता था, दहेज को लेकर प्रताड़ित करता था तो मेरी बेटी ने बताया तो मैं अपनी छोटी बेटी कनक, अनुराग, अवनीश के साथ दिनांक 29/07/25 को अपनी बेटी के ससुराल सिसरेडी गयी। मैंने अपने दामाद से कहा कि मेरी बेटी को विदा कर दीजिए तो मेरे दामाद पंकज, पंकज के दोस्त मुन्ना, नखडू(प्रधान), अरविन्द सरोज ये लोग मिलकर हम लोगों को मारने-पीटने लगे और कहे कि तुम लोग यहां से भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे, मेरी बेटी कुमकुम को जान से मारने की धमकी देने लगे। मेरी बेटी को बिदा नहीं किये। दिनांक 30/07/25 को दहेज के लिए प्रताड़ित करके मेरे दामाद पंकज, मुन्ना, नखडू(प्रधान) अरविन्द सरोज प्रताड़ित करने लगे। पूर्व से ही ये लोग मेरी बेटी को मिलकर प्रताड़ित करते थे। दिनांक 30/07/25 को मेरी बेटी कुमकुम मर गयी, उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 231/25 धारा 108/85/115(2)/352/351(3) BNS व 3/4 DP ACT बनाम पंकज सरोज आदि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 02.08.25 को उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पंकज सरोज पुत्र श्यामा सरोज उम्र 34 वर्ष ग्राम सिसरेडी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को बेसो नदी पर बने पुल ग्राम सरायमोहन से समय 10.00 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-पंकज सरोज पुत्र श्यामा सरोज उम्र 34 वर्ष ग्राम सिसरेडी थाना बरदह जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 6049/12 धारा 147/323/504 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 231/25 धारा 108/85/115(2)/352/351(3) BNS व 3/4 DP ACT थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव थाना बरदह, आजमगढ़

2. का0 दुर्गेश राय थाना बरदह, आजमगढ़



03. थाना पवई: पम्पिंग सेट (छोटा इंजन) चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2025 वादी धर्मेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह ग्रा0 रामनगर थाना पवई आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 25.07.25 की रात्रि 9 बजे उनके खेत से किसी अज्ञात चोर द्वारा खेत में लगा पम्पिंग सेट (छोटा इंजन) को चोरी कर लिया गया है, उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/25 धारा- 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया । मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान चोरी करने वाले अभियुक्त अंकित उर्फ मोखन यादव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद यादव निवासी ग्राम रामनगर थाना पवई जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया ।

बरामदगी/गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 02.08.25 को उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त अंकित उर्फ मोखन यादव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद यादव निवासी ग्राम रामनगर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को ग्राम रामनगर से बलुआ मोड़ जाने वाले खड़न्जा के पास से समय करीब 08.20 बजे गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त के निशानदेही पर ग्राम रामनगर व ग्राम कछरा पर बने अर्द्धनिर्मित मकान में से चोरी किये पम्पिंग सेट (छोटा इंजन) की बरामदगी की गयी एवं अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 213/25 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 213/25 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 147/21 धारा 352/376/504/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना पवई आजमगढ़

बरामदगी ---

1-पम्पिंग सेट (छोटा इंजन)

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा, थाना पवई जनपद आजमगढ़
2. का0 सुरेन्द्र यादव, थाना पवई जनपद आजमगढ़
3. का0 अमित पाल थाना पवई जनपद आजमगढ़



04. थाना मुबारकपुर: किशोरी के साथ दुष्कर्म के अभियोग का वांछित किशोर अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना-

दिनांक 27.07.2025 को थाना मुबारकपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुरुरसन्डा मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किये जाने के मामले मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 334/2025 धारा 65(1),333,351(3),126(2) BNS व 3 /4(2) पाक्सो एक्ट पंजीकृत है। जिसकी विवेचना स्वयं प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशि मौलि पाण्डेय द्वारा किया गया है।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण-

दिनांक 02.08.2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर श्री शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को कुरुरसन्डा मोड़ से समय 06.05 बजे नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।